पत्रांक :–3 / यो01–15 / 2025 (उ0शि0) 143 / 1565 /

झारखण्ड सरकार

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

(उच्च शिक्षा प्रभाग)

आंतरिक वित्तीय सलाहकार से परामर्शित

प्रेषक,

जार्ज कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
पो0–हिनू, झारखण्ड, रॉची।

रॉची, दिनांक 06/10/2025 /

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2025–26 में रॉची विश्वविद्यालय, रॉची अतंर्गत जे0 एन0 कॉलेज, धुर्वा, रॉची के परिसर में विद्युतीकरण कार्य हेतु रू0 73,44,900/– (तिहत्तर लाख चौवालीस हजार नौ सौ) रूपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।**

प्रसंगः– **रॉची विश्वविद्यालय, रॉची का पत्रांक PL/92/25 दिनांक 17.05.2025**

आदेश– स्वीकृत ।

राज्य में उच्च शिक्षा के गुणात्मक सुधार तथा विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के छात्र–छात्राओं को पर्याप्त आधारभूत सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य स्कीम बजट से विश्वविद्यालयों को सहायता अनुदान के रूप में राशि स्वीकृत की जाती है।

2. झारखण्ड राज्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में वृहत्तर लक्ष्य निर्धारित किया गया है। Gross Enrollment Ratio (GER) के निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु एवं छात्रों को रोजगार के अधिकतम अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार किये जा रहे है। छात्रों को अधिकाधिक आधारभूत सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रॉची विश्वविद्यालय, रॉची राज्य विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित है।

3. वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य स्कीम बजट के अन्तर्गत उपशीर्ष–BP- उच्च शिक्षण संस्थानों के आधारभूत संरचना का विकास, आधुनिकीकरण एवं सुसज्जीकरण हेतु सहायता अनुदान लघुशीर्ष–102–विश्वविद्यालयों को सहायता मद में 200.00 करोड़ (दो सौ करोड़ रूपये) मात्र एवं लघुशीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, मद में 200.00 करोड़ (दो सौ करोड़ रूपये) मात्र अर्थात कुल रू0 400.00 करोड़ का बजट उपबंध प्राप्त है।

4. विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत कार्य प्रमण्डल, रॉची के पत्रांक– 2423 दिनांक 15.07.2025 के द्वारा Estimate No. 175, 176, 177 दिनांक 15.07.2025 से रॉची विश्वविद्यालय, रॉची अतंर्गत जे0 एन0 कॉलेज, धुर्वा, रॉची के परिसर में विद्युतीकरण कार्य हेतु रू0 73,44,908/– (तिहत्तर लाख चौवालीस हजार नौ सौ आठ) रूपये मात्र पर तकनीकी अनुमोदन प्रदान की गयी है।

5. उक्त कंडिका–4 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025–26 में रॉची विश्वविद्यालय, रॉची अतंर्गत जे0 एन0 कॉलेज, धुर्वा, रॉची के परिसर में विद्युतीकरण कार्य हेतु रू0 73,44,900/– (तिहत्तर लाख चौवालीस हजार नौ सौ) रूपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

6. राशि का विकलन वित्तीय वर्ष 2025–26 के राज्य स्कीम बजट के निम्नांकित शीष – "मुख्यशीर्ष–2202 सामान्य शिक्षा, 03– विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा, लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उप शीर्ष– BP- उच्च शिक्षण संस्थानों के आधारभूत संरचना का विकास, आधुनिकीकरण एवं सुसज्जीकरण हेतु सहायता अनुदान, 01– उच्च शिक्षण संस्थानों के आधारभूत संरचना का विकास, आधुनिकीकरण एवं सुसज्जीकरण हेतु सहायता अनुदान, विस्तृत शीर्ष–06 अनुदान,78–पूॅजी परिसम्पति के सृजन हेतु अनुदान (विपत्र कोड– 21S220203796BP010678) (स्कीम कोड–2104) के अंतर्गत होगा।

7. मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या–1269 दिनांक–21.09.2023 के आलोक में यह स्वीकृत्यादेश प्रदत्त शक्ति के अधीन है।

8. इस मद में विगत वित्तीय वर्ष के पूर्व वर्ष में निकासी की गयी राशि की विवरणी–

स्वीकृत्यादेश संख्या एवं तिथि	निकासी की गई राशि	प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र की राशि
–	–	–

9. वित विभाग के संकल्प ज्ञापांक 759 दिनांक 20.03.2015 के अनुसार राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

10. स्वीकृत राशि की निकासी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, रॉंची होंगे, जो सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, रॉंची से राशि की निकासी कर Book Transfer, बैंक ड्राफ्ट अथवा योजना–सह–वित्त विभाग द्वारा निर्गत किये गये प्रासंगिक आदेश में विहित माध्यम द्वारा रॉंची विश्वविद्यालय, रॉंची के कुलसचिव को राशि उपलब्ध करायेंगे एवं कुलसचिव उक्त बैंक ड्राफ्ट को चालान के माध्यम से विश्वविद्यालय के लिए संचालित पी0 एल0 खाता संख्या–8448 में जमा करायेंगे।

11. रॉंची विश्वविद्यालय, रॉंची के कुलसचिव द्वारा योजना–सह–वित्त विभाग के सुसंगत आदेश एवं परिपत्रों तथा झारखण्ड कोषागार संहिता–2016 के नियम– 339–344 के तहत पी0 एल0 खाता संख्या–8448 से निकासी कर विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत कार्य प्रमंडल, रॉंची को उपलब्ध करा दी जायेगी।

12. उक्त विषयांकित योजना का अनुश्रवण कुलपति, रॉंची विश्वविद्यालय, रॉंची एवं प्रचार्य, जे0 एन0 कॉलेज, धुर्वा, रॉंची के द्वारा किया जायेगा, जो समय–समय पर कार्य की गुणवत्ता की जॉच कराते हुये प्रतिवेदन उच्च शिक्षा निदेशालय को उपलब्ध करायेगे। निदेशक, उच्च शिक्षा के द्वारा भी उक्त विषयांकित योजना के क्रियान्वयन का समय–समय पर समीक्षा करते हुए गहन अनुश्रवण किया जायेगा।

13. झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम 343 का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

14. व्यय उपरान्त स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार झारखण्ड एवं विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।

15. प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

16. महालेखाकार का कार्यालय, अंकेक्षण/वित्त (अंकेक्षण) विभाग को विमुक्त एवं निकासी की गई राशि के अंकेक्षण का अधिकार होगा।

17. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

18. स्वीकृत राशि की निकासी हेतु तैयार विपत्र पर निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगा।

विश्वासभाजन,

6/10/25

(जॉर्ज कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–3/यो01–15/2025 (उ0शि0) 143/2025 /रॉंची, दिनांक– 06/10/2025

प्रतिलिपि –कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, रॉंची/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, रॉंची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

6/10/25

(जॉर्ज कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–3/यो01–15/2025 (उ0शि0) 143/2025 /रॉंची, दिनांक– 06/10/2025

प्रतिलिपि –विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक, उच्च शिक्षा के प्रधान आप्त सचिव/कुलसचिव, रॉंची विश्वविद्यालय, रॉंची/ विद्युत कार्यपालक अभियंता, रॉंची /अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (उच्च शिक्षा)/ लेखा शाखा, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित तथा नोडल पदाधिकारी को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

6/10/25

(जॉर्ज कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव।